व्यथा निवारण कक्ष का संविधान

गठन

व्यथा निवारण कक्ष का निम्नानुसार गठन किया गया है :

vkj- d- dkcGk, संयुक्त निदेशक	-	अध्यक्ष
iHkkr pUnk] वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	-	सदस्य
मुख्य प्रशासन अधिकारी	-	सदस्य
अधिशासी अभियंता (सिविल)	-	सदस्य
लेखा अधिकारी	-	सदस्य (विशेष आमंत्रिती)
fj>oku vyh] मुख्य अनुसंधान अधिकारी	-	सदस्य-सचिव

यदि नियुक्त सदस्य २ माह से अधिक की अवधि के लिए अनुसंधान शाला में अनुपस्थित रहता है तो ऐसी रिक्ति भरने के लिए निदेशक, केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला उम्मीदवार/उम्मीदवारों को नामित करेंगे।

किसी भी बैठक में उपस्थित रहने के लिए किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को उसके नियंत्रण अधिकारी को सूचित करते हुए सीधे आमंत्रित करने का अधिकार व्यथा-निवारण कक्ष को होगा। व्यथा-निवारण कक्ष को सलाह देने के लिए, साक्षात्कार हेतु आवेदनकर्ताओं तथा/या मामलों से संबंधित लिपिक तथा/या किसी अन्य कर्मचारियों को ऐसे निमंत्रण भेजे जा सकते हैं।

व्यथा आदि का निवारण करने हेतु निम्नानुसार उद्देश्य, कार्य-क्षेत्र, कार्य तथा कार्यप्रणाली तैयार की गई है :

उद्देश्य

व्यथा निवारण कक्ष के गठन का उद्देश्य है :

- सरकारी मामलों के बारे में कर्मचारियों की व्यथाओं की अभिव्यक्ति हेतु एक मंच उपलब्ध कराना।
- ऐसी व्यथाओं पर वस्तुनिष्ठ और न्याय संगत विचार करना ।
- मामलों में बिना-विलंब विचार करना और निर्णय देना।
- प्रशासन के दृष्टिकोण की कर्मचारियों के लिए व्याख्या या कर्मचारियों के दृष्टिकोण की प्रशासन के लिए व्याख्या हेतु मध्यस्थ का काम करना ।
- नियोक्ता की प्रशासनिक तथा प्रबंधन से जुडी जिम्मेदारियों की जटिलताओं को समझने में सहभागिता तथा संस्थान के सभी कर्मचारियों में अपनेपन की भावना जागृत करना।

कार्य-क्षेत्र

- अधिकारियों, नियमित स्थापना तथा कार्य-भारित कर्मचारी-वर्ग सहित केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला के सभी अधिकारी/कर्मचारी व्यथा निवारण कक्ष के दायरे में आएंगे।

- व्यथा निवारण कक्ष सरकारी नियमों/विनियमों के अधीन स्थापित मौजूदा मशीनरी के अलावा होगा ।

- केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला के अधिकारी/कर्मचारियों के न्यायसंगत दावों के बारे में कार्रवाई में शीघ्रता लाने के प्रयोजन से व्यथा निवारण कक्ष कार्य करेगा ।

- व्यथा निवारण कक्ष, मामलों के तकनीकी पहलू ही नहीं परंतु प्रबंधकर्ताओं तथा कर्मचारी-वर्ग के बीच विचारों के आपसी आदान-प्रदान के कार्य में भी सहायता करेगा।

- केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला की शासी परिषद व्यथा निवारण कक्ष के कार्यक्षेत्र को समय-समय पर निश्चित करेगी।

कार्य

निम्नांकित मामलों के संदर्भ में प्राप्त व्यथाओं पर व्यथा निवारण कक्ष विचार करेगा :

निजी समस्याएँ :

- वेतन तथा भत्तों का आहरण तथा संवितरण और वेतन नियतन
- वेतनवृद्धियाँ आदि
- छुट्टी की मंजूरी
- परिवीक्षा काल की समाप्ति, स्थायिवत्ता तथा सेवा में स्थायिकरण घोषित करने के मामले
- प्रशिक्षण के अवसर
- वरिष्ठता में आनेवाली समस्याएँ
- पदोन्नति
- सरकारी आवास
- परिवहन सुविधा
- चिकित्सा के दावें
- दौरा अग्रिम
- यात्रा भत्ता बिल
- सामान्य भविष्य निधि अभिदान, अग्रिम आदि
- त्यौहार अग्रिम, वाहन अग्रिम, गृह निर्माण अग्रिम जैसे विभिन्न अग्रिमों की मंजूरी
- आवेदन अग्रेषित करना
- सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बारे में पेंशन, सामान्य भविष्य निधि, परिवार पेंशन आदि के संबंध

में समस्याएँ । ये मामलें केंजविअशा में सेवारत किसी प्राधिकृत कर्मचारी के माध्यम से व्यथा निवारण कक्ष को प्रस्तुत किए जाएँगे

कार्य से संबंधी :

- अंतर-प्रभागीय तबादलें
- अनुसंधान सुविधाएँ
- कनिष्ठ स्तर कर्मचारियों की आवश्यकताएँ
- तकनीकी मार्गदर्शन
- कार्य का स्वरूप

सामान्य कल्याण के मामले :

- मनोरंजन क्लब
- सहकारी सोसाइटी
- कैंटिन
- अन्य कल्याणकारी मामलें

बैठकें

व्यथा निवारण कक्ष के अध्यक्ष प्राप्त हुए आवेदनों की संख्या तथा उन पर चर्चा की आवश्यकता ध्यान में लेकर बैठकों की समयावधि के बारे में निर्णय लेंगे। तथापि बैठकों के बीच ३ माह से अधिक का समय नहीं होगा ।

बैठक के लिए ३ सदस्यों का कोरम होगा ।

कार्य प्रणाली

कोई भी कर्मचारी, अधिशासी अभियंता, प्रशासन अधिकारी/मुख्य प्रशासन अधिकारी, वेतन तथा लेखा अधिकारी आदि जैसे संबंधित अधिकारियों को, जहाँ भी जरुरत हो, सूचित करते हुए व्यथा निवारण कक्ष के अध्यक्ष को सीधे आवेदन भेज सकता है। सभी मामलों में इस पत्र की एक प्रति, प्रभागाध्यक्ष को भी भेजी जाएँ।

कर्मचारियों द्वारा पृष्ठांकित अभ्यावेदन की प्रतियों के आधार पर संबंधित अधिकारी आवेदन प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अंदर व्यथा निवारण कक्ष को उनकी अभ्युक्तियाँ भेजेंगे।

व्यथा निवारण कक्ष को प्रस्तुत किए गए आवेदन में निम्नांकित जानकारी का उल्लेख किया जाएँ तथा उस पर तारीख लिखी जाएँ एवं हस्ताक्षरित हो :

- कर्मचारी का नाम तथा पदनाम

- प्रभाग/अनुभाग
- मूल वेतन
- स्थायिकरण की स्थिति
- सभी तथ्यों की जानकारी देते हुए व्यथा एवं निवारण का अनुरोध

व्यथा निवारण कक्ष किसी भी अनाम (बेनाम) पत्र पर कार्रवाई नहीं करेगा।

कर्मचारी से आवेदन प्राप्त होने के बाद, व्यथा निवारण कक्ष के सदस्य-सचिव आवेदन की प्राप्ति सूचना भेजेंगे।

व्यथा निवारण कक्ष को संबोधित सभी आवेदन, व्यथा निवारण कक्ष के सदस्य-सचिव द्वारा एक रजिस्टर में प्रविष्ट किए जाएँगे जिसमें निम्नांकित जानकारी लिखी जाएंगी:

- क्रम संख्या
- व्यथा आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि
- व्यथा भेजने वाले कर्मचारी का नाम तथा पदनाम
- व्यथा के बारे में संक्षिप्त विषय वस्तु
- कक्ष के बैठक की तिथि जिसमें आवेदन पर विचार किया गया।
- की गई अंतिम कारवाई
- अभ्युक्ति

व्यथा निवारण कक्ष की बैठक के दौरान, सदस्य-सचिव संबंधित अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ है या नहीं यह देखे बिना बैठक के पूर्व प्राप्त हुई सभी व्यथाएँ बैठक में प्रस्तुत करेंगे। कक्ष द्वारा प्राप्त प्रत्येक आवेदन पर बैठक में चर्चा होगी और यथोचित विधि तथा नियमों के अनुसार उसका निवारण किया जाएगा ।

व्यथा निवारण कक्ष के सदस्य-सचिव द्वारा रखा गया रजिस्टर, तथा कक्ष की बैठकों के कार्यवृत्त की फाइल निदेशक, केंजविअशा को अवलोकन हेतु माह में एक बार भेजी जाएँ।

सीधा सम्पर्क :

उच्च स्तर पर सीधा सम्पर्क उपलब्ध कराने के लिए, व्यथा निवारण कक्ष के अध्यक्ष, इच्छुक आवेदकों के साथ जिन्होंने आवेदन भेज दिया है, महीने में दो बार प्रत्यक्ष मुलाकात के लिए उपयुक्त तिथियाँ निश्चित करेंगे। कर्मचारियों को ऐसी बैठकों में वैयक्तिक तौर पर बुलाया जाएगा और केवल व्यथा निवारण कक्ष के सदस्य-सचिव ही ऐसी बैठकों में उपस्थित रहेंगे। इन बैठकों की कार्यवाही गोपनीय रखी जाएगी।

अधिकार :

कर्मचारियों की व्यथा निवारण संबंधी मामलों के निवारण हेतु व्यथा निवारण कक्ष के अध्यक्ष शासी

परिषद के संबंधित अधिकारी तथा/या जल संसाधन मंत्रालय के साथ सीधे पत्राचार करने के लिए प्राधिकृत है।

कक्ष को सौंपी गई जिम्मेदारियाँ निभाने के लिए व्यथा निवारण कक्ष, किसी कर्मचारी को सरकारी दौरे पर भेजने हेतु प्राधिकृत कर सकता है। ऐसे मामलों में निदेशक यात्रा अनुमोदित करेंगे।

संविधान में संशोधन :

व्यथा निवारण कक्ष के अध्यक्ष, सचिव तथा सदस्य आवश्यक समझे जाने पर, एकमत से संकल्प पारित करते हुए, संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव भेज सकते है। इस तरह का संकल्प प्राप्त होने पर, केंजविअशा के निदेशक को शासी परिषद के साथ परामर्श कर के प्रस्तावित संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है।